राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...1965, 1966, 1967, 1968 एवं 1969/2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स एसोसिएटेड शॉप स्टोन डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी प्रा. लि. जयपुर, बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम वा.क. जयपुर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राज. वृत्त प्रथम जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/09/2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री नत्थूराम, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से श्री डी.पी. ओझा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यें पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक क्रमांक एस–178, 179, 180, 181 एवं 182 आदेश दिनांक 16.08.2016 जिसमें कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18, 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह पांचों अपीलें धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।	

अ.सं.	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. के समक्ष स्थगित राशि	विवादित राशि	शास्ति राशि
1	2	3	4	5
1965/16	2,23,40,000	2,17,34,600	2,17,34,600	1,21,07,998
1966/16	1,30,16,000	1,26,51,515	1,26,51,515	72,89,686
1967/16	1,32,58,000	1,28,73,715	1,28,73,715	76,85,688
1968/16	1,22,18,000	1,18,51,111	1,18,51,111	73,37,774
1969/16	1,38,30,000	1,33,99,173	1,33,99,173	86,16,532

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया है कि सोप स्टोन का खनन एवं सोप स्टोन से पाउडर का निर्माण आपस में जुड़ी हुई गतिविधियां हैं जिन्हें प्लांट व मशीनरी की मदद के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एक्सकेवेटर, मिल प्लांट एवं मशीनरी, क्रेन की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम सही रूप से किया गया है। इसी प्रकार एचटीसी पाइप्स एंड इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा. लि. जयपुर को एक्सकेवेटर एवं डम्पर को किराये पर उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त राशि पर कर निर्धारण भी विधि सम्मत नहीं है। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित श्री

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या ...1965, 1966, 1967, 1968 एवं 1969/2016.................................जिला...........जयपुर..........

उनवान – मैसर्स एसोसिएटेड शॉप स्टोन डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी प्रा. लि. जयपुर, बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम वा.क. जयपुर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राज. वृत्त प्रथम जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

9/09/2016

कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य व अन्य (2009) 23 वीएसटी 249, सीमेन्ट मार्केटिंग कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त वा. क. इन्दौर व अन्य 455 पेज 197 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाम राजस्थान राज्य 104 एसटीसी पेज 89, सीटीओ गंगानगर बनाम दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड 32 टीयूडी पेज 3, वा.क.अ.पाली बनाम सोजत लाईन क. 74 एसटीसी पेज 288, मैसर्स लॉर्ड वेंकेंटश्वर बनाम सीटीओ 19 टीयूडी पेज 85, सीटीओ बनाम बरान कॉ–ऑपरेटिव मार्केटिंग 93 एसटीसी 239 तथा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित वा.क.अ. अलवर बनाम मां अम्बे कार्गो मूवर्स 32 टीयूडी पेज 17 आदि निर्णय का हवाला देते हुए प्रस्तुत अपीलों मय स्थगन को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर प्रथम दृष्टतया मामला अपीलार्थी के पक्ष में नहीं बनता है क्योंकि प्रथम दृष्टतया खनन कार्य में प्रयुक्त मशीनरी की खरीद पर कोई इनपुट टैक्स देय नहीं है तथा एचटीसी पाइप्स एंड इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा. लि. जयपुर को एक्सकेवेटर एवं डम्पर किराया राशि पर उपलब्ध कराये गये हैं जिसकी शर्तो के अनुसार कर देय है परन्तु शास्ति आरोपित करने एवं शास्ति की मात्रा के संबंध में प्रथम दृष्टतया मामला अपीलार्थी के पक्ष में बनता है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों एवं उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विवादित केवल शास्ति राशियां क्रमशः रू. 1,21,07,998, 72,89,686, 76,85,688, 73,37,774, 86,16,532 की वसूली इस आदेश की तिथि से 1 वर्ष की अवधि या अधीनस्थ न्यायालय में अपील के निर्णय तक स्थगित की जानी न्यायोचित है तथा शेष आईटीसी, कर एवं ब्याज की विवादित राशियों के संबंध में स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलें मय स्थगन, शास्ति के बिन्दु पर स्वीकार की जाकर शास्ति की वसूली इस आदेश की तिथि से 1 वर्ष की अवधि या अधीनस्थ न्यायालय में अपील के निर्णय जो भी पूर्व हो, तक स्थगित की जाती हैं तथा कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं एवं अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त अपीलों का निस्तारण यथासंभव तीन माह में करें।

9.9.2016

(नत्थूराम) (मदन लाल)